

कार्यालय ग्राम पंचायत अरियाड़ा पंसां शिव

क्रमांक- पशु शिविर / 2022 / 13

दिनांक 30/03/22

पेषित-

श्रीमान तहसीलदार महोदय

शिव

विषय-ग्राम पंचायत अरियाड़ा में राजस्व ग्राम उरुल हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मैं (सचिव) रिडमलराम पुत्र रवेताशु जाति कुमार निवासी उरुल तहसील शिव जिला द्वारा ग्राम पंचायत अरियाड़ा के राजस्व ग्राम उरुल हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाना चाहता हूँ तथा यह कि-

1 संवत् 2078 में तहसील शिव के ग्राम पंचायत अरियाड़ा में भयंकर अकाल की स्थिति है।

2 वर्तमान समय में ग्राम पंचायत अरियाड़ा के राजस्व ग्राम उरुल में किसी भी प्रकार का पशु शिविर स्वीकृत नहीं है।

3 राजस्व ग्राम उरुल में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़ गये 1.5 बड़े व 15 छोटे कुल 200 पशु संघारित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत अरियाड़ा के राजस्व ग्राम उरुल में पशु शिविर स्वीकृत करवाने की कृपा करवाये।

अरियाड़ा

सरपंच / अध्यक्ष

ग्रा.प्र. अरियाड़ा

रिडमलराम
ग्रा.वि.अधिकारी
ग्रा.प.वरियाड़ा पंचायत
ग्रा.प्र. अरियाड़ा



नाम मुद्रांक विक्रेता श्री प्रवरसिंह भाटी धारवी कला अनुज्ञापत्र संख्या 01/2019/शिव/बाडमेर

रजिस्टर क्रम नं. 2792 दिनांक 29/03/2022 मुद्रांक वेल्चू व क्रम संख्या- 50/-

मुद्रांक केला का नाम ग्राम पंचायत पिता/पति का नाम हरिभाऊ फौजदार

पता शिव बाडमेर पंचायत बाणबाण

हमने इस की दशा में हमने का नाम पता देवीसिंह

केला/हमने के हस्ताक्षर [Signature] मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर (5)

विक्रय स्थान : - तहसील पारसर, शिव (बाडमेर) Mob 7023519652

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प प्राप्ति पर प्रभाविता अधिधार	
अधारभूत वचनसंख्या सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10% रूपये - 05/-	
माय और उमकी वचन के तरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20% रूपये - 10/-	
कुल योग - 15/-	<u>(5)</u>
हस्ताक्षर स्टाम्प वेपडर	

शपथ पत्र

मैं अनुसूया पुत्र/पिता श्यामसुंदर उम्र 22 निवासी कोटपुरा तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

- मेरी संस्था का नाम ग्राम पंचायत हरिभाऊ एवं संस्था का पंजीयन संस्थायह है।
- मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान उरल तहसील शिव जिला बाडमेर नाम से है।
- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर /राज्य स्तर पशुशिवर का आकस्मिक निरीक्षण /विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।
- मैं भलिभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी अनियमितता पाई जाती है तो मेरे संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- मैं पशु शिविर /गोशाला कि स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
- जिले द्वारा समय समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

अनुसूया
संरपच/अध्यक्ष (अनुसूया)
ग्राम पं. हरिभाऊ

[Signature]
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
(रिडमलरीम)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प.वरियाडा प.सं. शिव



मैं अनुसूया पुत्र श्यामसुंदर उम्र 22 निवासी कोटपुरा तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

अनुसूया
संरपच/अध्यक्ष (अनुसूया)
ग्राम पं. हरिभाऊ

ATTESTED
[Signature]
B. M. KUMAWAT
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, BARMER.
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
ग्राम पं.